संख्या 11 / 2026/134/सत्रह-म-2026-17-1099/25/2026

प्रेषक,

राम चरन राम

अनु सचिव

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक

मत्स्य विभाग

उत्तर प्रदेश लखनऊ

मत्स्य उत्पादन अनुभाग लखनऊः दिनांक 09 मार्च ~~फरवरी~~, 2026

विषय- वित्तीय वर्ष 2025-26 में उ०प्र० मत्स्य पालक कल्याण कोष हेतु अनुदान संख्या-17, लेखाशीर्षक 2405-मछली पालन 800-अन्य व्यय 13-उ0प्र0 मत्स्य पालक कल्याण कोष से व्यय के मानक मद 42-अन्य व्यय में धनराशि रू0 1250.00 लाख (रुपये बारह करोड़ पचास लाख मात्र) की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-44 /नि0शा0/2025-26 दिनांक 19.01.2026 तथा उसके साथ उपलब्ध कराये गये बी0एम0-9 (भाग-1) प्रपत्र का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के अन्तर्गत उ०प्र० मत्स्य पालक कल्याण कोष हेतु अनुदान संख्या-17, लेखाशीर्षकर 2405- मछली पालन 800-अन्य व्यय 12-मत्स्य पालक कल्याण फण्ड 42-अन्य व्यय में प्राविधानित रु० 2500.00 लाख के सापेक्ष अवशेष धनराशि रू0 1250.00 लाख को मत्स्य पालक कल्याण कोष से व्यय हेतु नियत लेखाशीर्ष 2405-मछली पालन 800-अन्य व्यय 13-उ0प्र0 मत्स्य पालक कल्याण कोष से व्यय के मानक मद 42-अन्य व्यय में पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि रू0 1250.00 लाख (रुपये बारह करोड़ पचास लाख मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत कराये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे कहने का निदेश हुआ है कि वितीय वर्ष 2025-26 में अनुदान संख्या-17, मत्स्य पालक कल्याण कोष से व्यय हेतु नियत लेखाशीर्ष 2405-मछली पालन 800-अन्य व्यय 13-उ0प्र0 मत्स्य पालक कल्याण कोष से व्यय के मानक मद 42-अन्य व्यय में पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि रू0 1250.00 लाख (रुपये बारह करोड़ पचास लाख मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

(1) बचत की धनराशि एवं व्यय की जाने वाली धनराशि का औचित्य महानिदेशक मत्स्य द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) जिस मद से पुनर्विनियोग किया जा रहा है उसमें अतिरिक्त धनराशि की मांग नही की जायेगी।

(3) जिस प्रयोजन हेतु धनराशि की मांग की जा रही है उसी मद में ही आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी।

(4) भविष्य में इस प्रकार के मदों के व्यय पर मितव्ययिता सुनिश्चित किये जाने का दायित्व महानिदेशक मत्स्य का होगा।

(5) जिस मद में पुनर्विनियोग किया जा रहा है उसका सदुपयोग इसी वित्तीय वर्ष में कर लिया जायेगा।

(6) स्वीकृत धनराशि के व्यय किये जाने से पूर्व वित्त (आय-व्ययक) अनु0-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 27.03.2025 द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3 - यह आदेश कम्प्यूटर द्वारा उत्पन्न आर.ई.संख्या–बजट-1-375, दिनाँक 26.02.2026 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय

Digitally signed by
RAMCHARAN RAM
Date: 05-03-2026
12:09:40

(राम चरन राम)
अनु सचिव।

संख्या 11 /2026/134/ सत्रह-म-2026 तददिनांक

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/ द्वितीय उ0प्र0 प्रयागराज।
(2) सम्बंधित मण्डलायुक्त/ जिलाधिकारी उत्तर प्रदेश।
(3) मुख्य कोषाधिकारी जवाहर भवन लखनऊ ।
(4) सम्बंधित कोषाधिकारी उ0प्र0।
(5) उप निदेशक मत्स्य (नियोजन) मत्स्य निदेशालय उ0प्र0।
(6) वित्त एवं लेखाधिकारी मत्स्य निदेशालय उ0प्र0 लखनऊ।
(7) वित्त(व्यय-नियत्रंण)अनुभाग-1/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/ नियोजन अनु0-3
(8) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राम चरन राम)
अनु सचिव।

बी एम-9 (भाग - 1)

पुनर्विनियोग के लिए आवेदन / स्वीकृति

(संदर्भ : बजट मैनुअल का प्रस्तर- 158)

A017-20252026-17-1099-25-2026

विषय - वित्तीय वर्ष 2025-26 के अन्तर्गत उ०प्र० मत्स्य पालक कल्याण कोष हेतु अनुदान संख्या-17, लेखाशीर्षक रू 2405- मछली पालन 800-अन्य व्यय 12-मत्स्य पालक कल्याण फण्ड 42-अन्य व्यय मे प्राविधानित रु० 2500.00 लाख के सापेक्ष अवशेष धनराशि रू० 1250.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति पुनर्विनियोग के माध्यम से मत्स्य पालक कल्याण कोष से व्यय हेतु नियत लेखाशीर्ष 2405-मछली पालन 800-अन्य व्यय 13-उ०प्र० मत्स्य पालक कल्याण कोष के मानक मद 42-अन्य व्यय में अन्तरित कर वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के सम्बंध में

निम्नलिखित निधियो से प्रस्तावित संक्रमण

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान / विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनाक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पश्चात् शेष अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
017	2405008001200 (मत्स्य पालक कल्याण फण्ड)	42 (अन्य व्यय)	12,50,00,000 रुपये बारह करोड पचास लाख मात्र	12,50,00,000 रुपये बारह करोड़ पचास लाख मात्र	12,50,00,000 रुपये बारह करोड़ पचास लाख मात्र	125000000	0.00	2025-2026
कुल					₹ 12,50,00,000	₹ 0		

निम्नलिखित निधियो मे प्रस्तावित संक्रमण

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध / विनियोग	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि	संक्रमण के पश्चात उपलब्ध अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
017	2405008001300 (उ.प्र. मत्स्य पालक कल्याण कोष से व्यय)	42 (अन्य व्यय)	12,60,00,000 रुपये बारह करोड़ साठ लाख मात्र	12,50,00,000 रुपये बारह करोड़ पचास लाख मात्र	12,50,00000	251000000	2025-2026
कुल				₹ 12,50,00,000	₹ 0		

कृपया उपरोक्त प्रस्ताव पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रशासनिक विभाग को अनुमोदन देना चाहें :-

1- बचत की जिस मद में पुनर्विनियोग किया जा रहा है, उस मद में अतिरिक्त धनराशि की मांग नही की जायेगी।

2- जिस प्रयोजन हेतु धनराशि की मांग की जा रही है, उसी मद में ही आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी।

3- स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/ उपयोग चालू वित्तीय वर्ष में ही सुनिश्चित किया जायेगा।

संख्या: -2025-26, दिनांक- जनवरी 2026

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम उ०प्र० प्रयागराज।

(राम चरन राम)

अनु सचिव।

Digitally signed by RAHUL KUMAR
Date: 25-02-2026 12:14:03

(राहुल कुमार)

अनु सचिव।

संख्या : दिनांक- जनवरी, 2026

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/ द्वितीय उ०प्र० प्रयागराज।

(5) उप निदेशक मत्स्य (नियोजन) मत्स्य निदेशालय उ0प्र0।
(6) वित्त एवं लेखाधिकारी मत्स्य निदेशालय उ0प्र0 लखनऊ।
(7) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/ नियोजन अनु0-3
(8) गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(राम चरन राम)
अनु सचिव।